

आजाद सिपाही

कलम कलम बढ़ाये जा



रिम्स का मास्टर री-डेवलपमेंट प्लान शीघ्र बनायें: हेमंत सोरेन

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) जल्द ही नये रंगरूप में दिखेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रिम्स का एक बेहतर मास्टर री-डेवलपमेंट प्लान शीघ्र तैयार करें। रिम्स के नये री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान में भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सभी चीजें सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित करने की कार्य योजना बनायें। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने आदिवासी कल्याण हॉस्टल का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं, वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों की बाधाओं को दूर करने का आदेश दिया।

आदिवासी कल्याण हॉस्टल का

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, कल्याण और वन विभाग के अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित चार नये आदिवासी कल्याण हॉस्टलों के निर्माण कार्य को तय समय में पूरा करने का निर्देश

वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आनेवाले ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों की बाधाओं को दूर करने का आदेश

रोड रेडमा में एसटी वर्ग के लिए 525-525 विद्यार्थियों का दो छात्रावास का निर्माण कार्य किया जाना है। इन सभी छात्रावासों का निर्माण कार्य आगे एक महीने के भीतर शुरू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी सुविधाओं को ध्यान में रखने और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

विकास कार्यों की बाधाओं को दूर करें : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों की बाधाओं को दूर करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वन क्षेत्र में बसे गांवों में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अपेक्षा अनुरूप विकास नहीं हो पा रहा है। मधुबन से पारसनाथ (सिकर) हिलटॉप तक जोड़ने वाली सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की बाधाओं को शीघ्र दूर करें।

देश में रिम्स की अलग पहचान होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिम्स के पुनर्विकास एवं विस्तार से संबंधित प्रस्तावित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी ली। हेमंत ने कहा कि देश में रिम्स की अलग पहचान होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। रिम्स के री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान में सभी हॉस्टल को एक जगह, सभी रेजिडेंशियल कंप्लेक्स को नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट करने की योजना बनायी जाये। मुख्यमंत्री ने



अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान में रिम्स परिसर के 1600 बेडवाले इनडोर क्षेत्र का रिनोवेशन

निर्माण एक महीने में होगा शुरू: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों से प्रस्तावित आदिवासी कल्याण हॉस्टल के टेंडर प्रक्रिया की जानकारी ली। अधिकारियों ने

मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रांची में दो आदिवासी कल्याण हॉस्टल तथा डाल्टनगंज में दो आदिवासी कल्याण हॉस्टल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, इन चारों हॉस्टलों का टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। रांची के विमेंस

कॉलेज (साईंस ब्लॉक) परिसर में 525 अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण तथा आदिवासी हॉस्टल कैम्पस में 525 छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वहीं, पलामू जिला के डाल्टनगंज स्थित बाइपास

शाह पर टिप्पणी
मामला: राहुल पर नहीं चलेगा केस



रांची/नयी दिल्ली (आजाद सिपाही)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाइबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल ने अमित शाह को हत्याकांड बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उन पर शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का केस किया था। सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकार नहीं हो सकते हैं। शिकारित किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गयी थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है।

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से
रेप-मर्डर के दोषी को उम्रकैद



घटना के 164वें दिन संजय
रॉय को मिली सजा
कोर्ट ने कहा, यह रेपरेस्ट
ऑफ रेपर का मामला नहीं

आजाद सिपाही संवाददाता
कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनायी गयी। सियालदह कोर्ट के जज अनिबान दास ने सोमवार को सजा सुनाते हुए कहा कि यह रेपरेस्ट ऑफ रेपर मामला नहीं है। मौत की सजा नहीं दी सकती। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से

इन्कार कर दिया।
फैसला सुनाने से पहले दोपहर में कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआइ और पीडित परिवार को बातें सुनीं। संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन (20 जनवरी) सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया। सीबीआइ और पीडित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी। संजय का परिवार बोला कि भले ही फांसी हो। हम फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने कहा कि मैं उस लड़की के मां-बाप का दुख समझती हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं। उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीन लिया गया। अगर मामला उनके पास होता तो मौत की सजा तय होती।

!! भारत माता की जय !!

भारत माता पूजनोत्सव सह अनावरण समारोह

!! वन्दे मातरम् !!



मान्यवर,

माँ शुभ्रज्योत्सना के अपार अनुग्रह से बुण्डू के एदेलहातु ग्राम, एन-एच-33 की पुण्य सुजला धरा पर "भारत माता मंदिर" के स्थापना का गौरव प्राप्त हो रहा है। तदर्थ माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी दिनांक 22/01/2025, दिन बुधवार, पूर्वाह्न 11:30 बजे संस्कार रीति नियमानुकूल भारत माता स्थापना पूजनोत्सव उपरांत भारत माता मन्दिर का गौरवपूर्ण अनावरण समारोह का मंगलकार्य सम्पन्न होगा।

-: कार्यक्रम :-

दिनांक- 21/01/2025 दिन मंगलवार
10 बजे पूर्वाह्न: भव्य शोभायात्रा व
भारत माता स्थापना पूजनोपचार
दिनांक- 22/01/2025 दिन बुधवार
11.30 बजे पूर्वाह्न हवन व
अनावरण समारोह

कार्यक्रम अध्यक्ष


श्री अर्जुन मुण्डा

(पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार एवं
पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार)

मुख्य अतिथि

श्री संजय सेठ

रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार



इस वैभवशाली क्षण में आप महानुभावों से सपरिवार उपस्थिति की विनीत अपेक्षा है



प्रमोद कुमार सिंह



राम दुर्लभ सिंह मुंडा



अरुण कु. जैन



सत्यनारायण भगत



विनय सिंह मुंडा उर्फ बंटी



प्रदीप उर्फ रोशन महतो



ललित नारायण साहू



जीतु कुमार



अर्जुन महतो



मनीष जायसवाल



मोहित मुखर्जी



अंकित जैन

लखीचरण महतो
उर्फ पप्पू महतो

राणा पाल



अजय महतो



दिलीप महतो



पुरेन्द्र महतो



गुड्डू महतो

निवेदक : भारत माता मंदिर संवर्धन समिति, बुण्डू, रांची

